कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 1145/नक्शा/जि0पं0/2016–2017 दिनांक 22 अगस्त, 2016

श्री संजीव कुमार व अन्य
ग्राम सेमरा
विकास खण्ड– चिनहट
तहसील– सदर
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा सेमरा विकास खण्ड चिनहट तहसील सदर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 72 व 60स में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र कुल कवर्ड एरिया 9932.06 वर्गमीटर पर हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 9932.06 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
5– कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पत्र संख्या 2016/22761/एलकेडब्लू/लखनऊ/2024/सीएफओ दिनांक 113 जुलाई, 2016 अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ